भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या:1878

दिनांक 4 अगस्त, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

नए चिकित्सा अस्पतालों की स्थापना हेतु स्वीकृत निधियां

1878. श्री संजय सेठ:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नए चिकित्सा अस्पतालों की स्थापना हेतु स्वीकृत तथा संवितरित निधियों का विस्तृत ब्यौरा क्या है;

(ख) एक जिला एक अस्पताल योजना के अंतर्गत स्थापित अस्पतालों का विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के संबंध में, अस्पताल-बिस्तर अनुपात का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ये चिकित्सा अस्पताल अल्पसेवित क्षेत्रों के लोगों के लिए भी सुगमतापूर्वक सुलभ हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या नवंबर, 2025 की स्थिति के अनुसार इन अस्पतालों में नई प्रौद्योगिकी आधारित उपकरण उपलब्ध हैं तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (घ): स्वास्थ्य एवं अस्पताल राज्य का विषय हैं। जन स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली को सुदृढ़ करने की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) के रूप में प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर जन स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं को सुदृढ़ करने तथा रोगों के निवारण को बढ़ावा देने के लिए राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान करता है। भारत सरकार मानकों एवं उपलब्ध संसाधनों के अनुसार कार्यवाही अभिलेख (आरओपी) के रूप में प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान करती है।

वित्त वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए अवसंरचना सुदृढ़ीकरण सहित एनएचएम के अंतर्गत केंद्रीय निर्गम और व्यय का विवरण **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

भारतीय जन स्वास्थ्य मानक (आईपीएचएस 2022) प्रति 1000 जनसंख्या पर 1 बिस्तर की व्यवस्था की अनुशंसा करते हैं। आईपीएचएस मानकों के अनुसार, 20,000 से 30,000 की जनसंख्या को कवर करने के लिए 6 भर्ती/ देखभाल बिस्तरों वाला आयुष्मान आरोग्य मंदिर–प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (एएएम-पीएचसी); 80,000 से 1,20,000 की जनसंख्या को कवर करने के लिए 30 बिस्तरों वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी); 1,00,000 से 5,00,000 की जनसंख्या को कवर करने के लिए 31–100 बिस्तरों वाले उप-जिला

अस्पताल; तथा 30,00,000 तक की जनसंख्या को कवर करने के लिए 101–500 बिस्तरों वाला जिला अस्पताल स्थापित किया जाना है।

उत्तर प्रदेश सहित देश में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार अस्पताल के बिस्तरों की उपलब्धता का विवरण स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट पर निम्नलिखित यूनिफ़ॉर्म रिसोर्स लोकेटर (यूआरएल) पर उपलब्ध है:
https://www.mohfw-dohfw.gov.in/static/uploads/2026/05/57202cf30629539e4d0fb0a2f700ac62.pdf

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) स्वास्थ्य अवसंरचना में सुधार, स्वास्थ्य केंद्रों में पर्याप्त मानव संसाधनों की उपलब्धता, शहरी, ग्रामीण और जनजातीय/पर्वतीय क्षेत्रों में गरीब और संवेदनशील वर्गों सहित सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य परिचर्या की उपलब्धता, वहनीयता और पहुँच में सुधार हेतु सहायता प्रदान करता है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय नव स्थापित स्वास्थ्य केंद्रों में स्वास्थ्यकर्मियों की समय पर भर्ती और तैनाती को सुगम बनाने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ समन्वय करके कार्य करता है। कुशल मानव संसाधनों की उपलब्धता और उन्हें बनाए रखने में सुधार के लिए, राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को दुर्गम क्षेत्र भत्ता, आवास सुविधा, निष्पादन-आधारित प्रोत्साहन राशि, तथा मौजूदा स्वास्थ्य परिचर्या कर्मियों के बहु-कौशल विकास जैसे उपायों के कार्यान्वयन में सहायता प्रदान की जाती है, इसमें सामान्य चिकित्सा अधिकारियों को आपातकालीन प्रसूति परिचर्या और जीवनरक्षक एनेस्थीसिया कौशल का प्रशिक्षण भी शामिल है, ताकि ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों सहित अल्पसेवित क्षेत्रों में सेवा प्रदायगी को सुदृढ़ किया जा सके।

सरकार ने सटीक और प्रभावी स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएँ प्रदान करने के लिए सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा उपकरणों और प्रौद्योगिकियों का आधुनिकीकरण तथा उन्नयन करने हेतु विभिन्न योजनाएँ/कार्यक्रम शुरू किए हैं:

- चिकित्सा उपकरण स्वास्थ्य परिचर्या सेवा प्रदानगी का एक अभिन्न हिस्सा हैं और शीघ्र निदान तथा त्वरित उपचार सुनिश्चित करने में अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, जिससे बेहतर स्वास्थ्य परिणाम प्राप्त होते हैं। भारतीय जन स्वास्थ्य मानक (आईपीएचएस)-2022 ने स्वास्थ्य परिचर्या के प्रत्येक स्तर पर उपकरणों की उपलब्धता के लिए न्यूनतम मानक निर्धारित किए हैं।
- मंत्रालय एनएचएम के तहत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किए गए अंतराल आकलन के आधार पर आईपीएचएस मानकों के अनुसार स्वास्थ्य केंद्रों के लिए नैदानिक उपकरणों सहित नैदानिक सेवाओं को सुदृढ़ करने हेतु राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान करता है।
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया ई-संजीवनी प्लेटफ़ॉर्म दूरस्थ परामर्श को सक्षम बनाता है, जिससे वास्तविक स्वास्थ्य परिचर्या सुविधा केंद्रों पर बोझ कम होता है। इस प्लेटफ़ॉर्म में दो मॉड्यूल हैं: (i) ई-संजीवनी ओपीडी: डॉक्टर-से-रोगी दूरस्थ परामर्श को सुगम बनाना; और (ii) ई-संजीवनी एएएम: दूरदराज़ क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य परिचर्या पहुंच के लिए आयुष्मान आरोग्य मंदिरों (एएएम) को विशेषज्ञ डॉक्टरों से जोड़ना। दिनांक 30.06.2026 तक कुल 46.90 करोड़ टेलीपरामर्श किए जा चुके हैं।

अनुलग्नक-I

वित्त वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक एनएचएम के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए अवसंरचना सुदृढ़ीकरण सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार केंद्रीय निर्गत और व्यय

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	राज्य	2023-24		2024-25		2025-26	
		केन्द्रीय निर्गत	व्यय	केन्द्रीय निर्गत	व्यय	केन्द्रीय निर्गत	व्यय
1	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	37.84	40.71	49.99	44.41	44.41	48.48
2	आंध्र प्रदेश	1,096.01	2,833.44	1,319.61	2,439.82	1,162.85	2,764.51
3	अरुणाचल प्रदेश	404.55	399.44	388.86	472.93	349.93	411.14
4	असम	2,257.06	2,626.87	2,076.25	2,607.54	2,318.22	2,601.84
5	बिहार	2,032.95	4,010.97	2,367.18	4,466.31	2,508.99	4,287.22
6	चंडीगढ़	30.58	31.85	43.43	37.29	50.53	49.53
7	छत्तीसगढ़	875.8	1,743.79	969.11	1,784.09	1,159.42	2,121.60
8	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव दमन और दीव	39.92	41.96	40.96	40.47	49.12	43.02
9	दिल्ली	150.54	338.41	240.39	365.44	346.34	547.04
10	गोवा	48.97	84.53	55.06	95.17	51.2	90.2
11	गुजरात	1,506.96	4,040.00	1,324.86	3,198.15	1,362.72	2,757.10
12	हरियाणा	524.01	1,221.41	562.49	1,127.06	636.01	1,402.07
13	हिमाचल प्रदेश	470.36	629.76	523.7	654.52	572.05	653.43
14	जम्मू और कश्मीर	805.22	956.95	1,040.76	1,110.30	1,017.14	1,180.71
15	झारखंड	958.06	1,992.91	964.31	1,986.59	984.57	1,873.32
16	कर्नाटक	1,187.60	2,741.98	1,295.81	2,478.23	1,268.26	2,513.61
17	केरल	189.15	1,246.25	1,351.78	1,422.88	813.16	1,743.43
18	लक्षद्वीप	3.79	7.1	9.68	10	12.94	10.4
19	मध्य प्रदेश	2545.68	5202.61	2430.91	5225.77	3,047.35	5,628.05
20	महाराष्ट्र	2,729.30	5,001.70	2,417.95	4,364.86	2,496.92	5,149.77
21	मणिपुर	169.12	159.32	279.16	295.79	255.54	366.92
22	मेघालय	261.39	305.83	297.95	393.01	336.52	377.57
23	मिज़ोरम	134.42	179.84	159.96	174.67	179.13	206.88
24	नागालैंड	184.84	196.69	204.47	243.6	187.95	228.1
25	ओडिशा	1,901.77	3,356.68	1,916.79	3,585.01	1,760.71	4,330.21
26	पुडुचेरी	30.8	45.74	26.27	49.27	30.83	56.4
27	पंजाब	91.49	1,428.94	878.21	1,027.72	724.47	1,146.42
28	राजस्थान	2,785.46	4,350.63	2,398.62	4,772.33	2,360.80	4,540.21
29	सिक्किम	68.17	75.77	81.67	89.59	99.18	117.93
30	तमिलनाडु	1,996.06	3,104.16	1,742.67	3,461.74	1,714.44	3,191.61
31	त्रिपुरा	264.31	309.62	268.67	279.35	331	382.15
32	उत्तर प्रदेश	4,928.14	10,572.60	5,853.43	10,377.16	5,686.12	11,069.32
33	उत्तराखंड	711.33	709.79	604.05	760.15	620.69	722.3
34	पश्चिम बंगाल	890.42	3,641.98	688.44	3,583.07	1,324.66	3,588.42
35	तेलंगाना	564.93	1,288.75	1,110.43	1,872.42	868.92	1,452.06
36	लद्दाख	120.44	119.67	135.98	150.5	142.24	138.98

नोट:

1. उपरोक्त जारी की गई राशियाँ केंद्रीय सरकार अनुदानों से संबंधित हैं और इनमें राज्य अंशदान शामिल नहीं है।
2. व्यय में केंद्रीय निर्गत, राज्य निर्गत तथा वर्ष की शुरुआत में अव्ययित शेष राशि की तुलना में किया गया व्यय शामिल है। व्यय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत एफ़एमआर के अनुसार है और अनंतिम है।
